



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



5 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 41 राँची, गुरुवार,

25 जनवरी, 2024 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी, 2024

अधिसूचना सं०-8/चुनाव/102/2018/न०वि०आ०-289--झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-590 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012" में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (1) यह नियमावली, "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका (संशोधन) नियमावली, 2024" कही जायेगी ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगा ।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के अध्याय-3 के नियम 6(1)(ख) का प्रावधान निम्नवत है :-

“निर्वाचन क्षेत्रों (नगरपालिकाओं श्रेणीवार अलग-अलग) की जनसंख्या में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य की कोटिवार जनसंख्या प्रपत्र-2 के भाग-दो में क्रमवार अंकित की जाएगी।”

उक्त प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“निर्वाचन क्षेत्रों (नगरपालिकाओं श्रेणीवार अलग-अलग) की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य की कोटिवार जनसंख्या प्रपत्र-2 के भाग-दो में क्रमवार अंकित की जाएगी।”

3. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के अध्याय-3 के नियम 6(1)(ग) का प्रावधान निम्नवत है :-

“तत्पश्चात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य की जनसंख्या के अनुसार प्रपत्र-2 के भाग-तीन में जनसंख्या के अवरोही क्रम में सजाया जाएगा। अवरोही क्रम में सजाने के क्रम में समान जनसंख्या वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को क्रमवार सजाया जाएगा।

अधिकतम जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र, प्रपत्र-2 के भाग-एक में निर्धारित की गई अनुमान्य संख्या में चक्रानुक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिए, जैसा भी मामला हो, प्रपत्र-2 के भाग-तीन में आरक्षित एवं आवंटित किए जाएंगे।”

उक्त प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“तत्पश्चात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य की जनसंख्या के अनुसार प्रपत्र-2 के भाग-तीन में जनसंख्या के अवरोही क्रम में सजाया जाएगा। अवरोही क्रम में सजाने के क्रम में समान अथवा शून्य जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र को क्रमवार सजाया जाएगा।

‘अधिकतम जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र, प्रपत्र-2 के भाग-एक में निर्धारित की गई अनुमान्य संख्या में, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिए, जैसा भी मामला हो, प्रपत्र-2 के भाग-तीन में आरक्षित एवं आवंटित किए जाएंगे।”

4. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के अध्याय-3 के नियम-6(2)(क) के प्रावधान निम्नवत है :-

“अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य के लिए स्थानों का आरक्षण एवं आवंटन/अवधारण अनुवर्ती आम चुनावों में चक्रानुक्रम में लागू होगा।”

उक्त प्रावधान को विलोपित किया जाता है ।

5. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के अध्याय-3 के नियम-6(2)(ख) का प्रावधान निम्नवत है :-

“अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य कोटियों में महिलाओं के लिए आरक्षित एवं आवंटित पद अनुवर्ती आम चुनावों में चक्रानुक्रम में आरक्षित आवंटित किए जाएंगे ।

आरक्षण एवं आवंटन में सिद्धान्तः वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उपाबद्ध अनुसूची के उदाहरण-1 मार्गदर्शन के लिए अंकित की गई है ।

(टिप्पणी-उपाबद्ध अनुसूची में उदाहरण-1 देखें।)“

नियमावली के नियम-6(2)(ख) के प्रावधान को 6(2) के रूप में निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं अन्य कोटियों में महिलाओं के लिए आरक्षित एवं आवंटित पद अनुवर्ती आम चुनावों में चक्रानुक्रम में आरक्षित आवंटित किए जाएंगे ।

आरक्षण एवं आवंटन में सिद्धान्तः वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उपाबद्ध अनुसूची के उदाहरण-2 मार्गदर्शन के लिए अंकित की गई है ।

(टिप्पणी-उपाबद्ध अनुसूची में उदाहरण-2 देखें।)“

6. उपाबद्ध अनुसूची के उदाहरण-1 के प्रपत्र-2 की कंडिका-9(क)(ii) के पश्चात् निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाता है :-

(iii) तृतीय आम चुनाव में महिलाओं को आवंटित स्थान -3, 5, 7, 9, 11, ...

(iv) चतुर्थ आम चुनाव में महिलाओं को आवंटित स्थान -4, 6, 8, 10, 12, ...

7. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के उपाबद्ध अनुसूची के उदाहरण (1) के प्रपत्र-2 की कंडिका 9(क) का उदाहरण विवरणी 'क' निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :-

विवरणी-‘क’ (प्रपत्र-2 के आंकड़ा पर आधारित)								
अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या		अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या		पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या		अनारक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या		निर्वाचन
महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	
12	1	14	7 19	15 23 6	11 8 9	4 17 13 3 18 16	20 21 2 5 22 10	प्रथम आम निर्वाचन
1	12	7	14 19	11 8 9	15 23 6	20 21 2 5 22 10	4 17 13 3 18 16	द्वितीय आम निर्वाचन
12	1	19	7 14	15 23 6	11 8 9	4 17 13 3 18 16	20 21 2 5 22 10	तृतीय आम निर्वाचन
1	12	14	7 19	11 8 9	15 23 6	20 21 2 5 22 10	4 17 13 3 18 16	चतुर्थ आम निर्वाचन

8. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के उपाबद्ध अनुसूची के उदाहरण-1 में जहाँ-जहाँ ‘पद’ शब्द अंकित है, उसे ‘स्थान’ के रूप में, जहाँ-जहाँ ‘पदों’ शब्द अंकित है, उसे ‘स्थानों’ के रूप में, जहाँ-जहाँ ‘पद/स्थान’ शब्द अंकित है, उसे ‘स्थान’ के रूप में तथा जहाँ-जहाँ ‘पदों/स्थानों’ शब्द अंकित है, उसे ‘स्थानों’ के रूप में यथा प्रतिस्थापित किया जाता है।

9. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के उपाबद्ध अनुसूची के उदाहरण-1 में अंकित ‘महापौर’, ‘अध्यक्ष’ तथा ‘निर्वाचन क्षेत्र’ शब्द को विलोपित किया जाता है।

10. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) के उपाबद्ध अनुसूची में उदाहरण-1 के पश्चात् उदाहरण-2 अंतःस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के प्रधान सचिव।

अनुसूची**उदाहरण-(2)**

निर्वाचन क्षेत्रों (नगरपालिकाओं) में महापौर/अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण एवं आवंटन के अवधारण की प्रक्रिया

(नियम-6 देखिये)

राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाएं हैं यथा-नगर निगम, नगर परिषद् (वर्ग 'क' एवं वर्ग 'ख') एवं नगर पंचायत। नियमावली के नियम 6(1)(क) के प्रावधानानुसार राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों (नगरपालिकाओं) यथा-नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को तीन अलग-अलग श्रेणियों में माना जाएगा।

उदाहरणस्वरूप मान लिया जाए कि राज्य में नगर परिषदों (वर्ग 'क' एवं वर्ग 'ख') की संख्या 19 है और राज्य की कुल जनसंख्या-33024576 (काल्पनिक) है; जिसके अन्तर्गत कोटिवार जनसंख्या, यथा-अनुसूचित जनजाति-4639953, अनुसूचित जाति-3001934, पिछड़ा वर्ग-18771169 तथा अन्य-6611520, है।

2 राज्य की कुल जनसंख्या में कोटिवार जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् है:-

(i) अनुसूचित जनजाति	- 14.05%
(ii) अनुसूचित जाति	- 9.09%
(iii) पिछड़ा वर्ग	- 56.84%
(iv) अन्य	- 20.01%

3. उक्त के आलोक में नियम 6(1) के अधीन राज्य की जनसंख्या के अनुपात यथा प्रतिशत के आधार पर नगर परिषदों में, अध्यक्ष के पद का आरक्षण करने के उद्देश्य से, प्रत्येक कोटि के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या निर्धारित की जायेगी, यथा:-

(क) अनुसूचित जनजाति के लिए 19 पद का 14.05 प्रतिशत	-	2.66	= 03 पद
(ख) अनुसूचित जाति के लिए 19 पद का 9.09 प्रतिशत	-	1.72	= 02 पद
(ग) पिछड़ा वर्ग के लिए 19 पद का 56.84 प्रतिशत	-	10.79	= 11 पद
(घ) पिछड़ा वर्ग को आवंटन हेतु वास्तविक अनुमान्य पदों की सं०	-		04 पद

(50% से अनधिक अधिसीमा के अंतर्गत)

(ङ) अन्य के लिए 19 पद का 20.01 प्रतिशत	-	3.80	= 04 पद
(च) अन्य को आवंटन हेतु वास्तविक अनुमान्य पदों की सं०	-		10 पद

4. चूंकि अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानानुसार पदों के आरक्षण की अधिसीमा 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक है और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में पदों के आरक्षण के बाद 50 प्रतिशत की अधिसीमा का शेष पद पिछड़ा वर्ग को देय है तथा नियम 7 के अधीन आरक्षण हेतु पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए गणना के निमित्त आधे से अधिक भाग को एक माना जायेगा तथा आधा या आधे से कम को छोड़ दिया जायेगा, इसलिए ऊपर कंडिका-3 में किए गये आरक्षण के निर्धारण के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए 03 पद, अनुसूचित जाति के लिए 02 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 50 प्रतिशत से अनधिक पद (09) का शेष यानि 04 पद एवं अन्य के लिए 10 पद अनुमान्य होंगे।

प्रपत्र-2
(नियम 6 देखिये)

आरक्षण, कोटिवार जनसंख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र-आवंटन पंजी
भाग-एक

शहरी स्थानीय निकाय -

कोटिवार जनसंख्या एवं कोटिवार अनुमान्य पद

राज्य शहरीय स्थानीय निकाय की जनसंख्या *नगर निगम *नगर परिषद वर्ग ('क' एवं 'ख') *नगर पंचायत'					*नगर निगम - महापौर *नगर परिषद वर्ग ('क' एवं 'ख') - अध्यक्ष के लिए *नगर पंचायत - अध्यक्ष				
अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल	कुल पद	अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पद	अनुसूचित जाति के लिए कुल पद	पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पद	अन्य के लिए कुल पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4639953	3001934	18771169	6611520	33024576	19	3	2	4	10

2.(क) राज्य की कुल जनसंख्या - 33024576

(ख) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या:-4639953

(ग) अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत:-14.05%

(घ) अनुसूचित जाति की जनसंख्या:-3001934

(ङ) अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत:-9.09%

(च) पिछड़े वर्ग की जनसंख्या:-18771169

(छ) पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत:-56.84%

(ज) अन्य की जनसंख्या:-6611520

(झ) अन्य की जनसंख्या का प्रतिशत:-20.01%

3.(क) अनुसूचित जनजाति के लिए पदों की संख्या:-3

19 का 14.05%=2.66

(ख) अनुसूचित जाति के लिए पदों की संख्या:-2

19 का 9.09%=1.72

(ग)(I) पिछड़ा वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुसार पदों की संख्या-11

(II) पिछड़ा वर्ग का आवंटन हेतु वास्तविक अनुमान्य पदों की संख्या-4

(घ) अन्य के लिए पदों की संख्या-10

*जो लागू नहीं है उसे काट दें।

5. नगर परिषदों (वर्ग 'क' एवं वर्ग 'ख') में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य की कोटिवार जनसंख्या, निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमानुसार, प्रपत्र-2 के भाग-दो में निम्नवत अंकित किया जाएगा :-

भाग-दो
निर्वाचन क्षेत्र (नगर परिषद) की कोटिवार जनसंख्या
(संख्यांकन के क्रमवार)

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र संख्या/नाम	निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत जनसंख्या				
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	1	21604	9152	13486	10340	54582
2	2	1958	3498	34848	15862	56166
3	3	2464	3036	36124	13332	54956
4	4	4466	2530	32604	17864	57464
5	5	8844	2090	30426	11704	53064
6	6	2442	4576	37730	9130	53878
7	7	24640	3674	15708	11044	55066
8	8	2156	7480	38126	5214	52976
9	9	4730	2970	37180	9196	54076
10	10	9086	5896	33264	8910	57156
11	11	1276	6864	39732	10252	58124
12	12	286	13244	38544	5082	57156
13	13	3102	4664	33924	16236	57926
14	14	31460	6820	14300	1276	53856
15	15	4686	2662	40524	9658	57530
16	16	6556	5060	34144	9570	55330
17	17	4202	4730	33704	15070	57706
18	18	1276	4642	35464	15774	57156
19	19	16632	6182	20724	9812	53350
	कुल-	151866	99770	600556	205326	1057518

6. इस प्रक्रिया के बाद नियम-6 के अधीन आरक्षित पदों का निर्वाचन क्षेत्र संख्या आवंटित किया जाएगा। इसके लिए सर्वप्रथम निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक कोटि की जनसंख्या, प्रपत्र 2 के भाग-तीन के कॉलम (i) से (ix) के अनुसार, अवरोही क्रम में सजाया जाएगा, जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

भाग-तीन

निर्वाचन क्षेत्र की कोटिवार जनसंख्या-अवरोही क्रम में

क्रमांक	अवरोही क्रम में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या	निर्वाचन क्षेत्र संख्या	अवरोही क्रम में अन्य की जनसंख्या	निर्वाचन क्षेत्र संख्या
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	31460	(14)	13244	(12)	40524	(15)	17864	(4)
2	24640	(7)	9152	1	39732	(11)	16236	(13)
3	21604	(1)	7480	(8)	38544	12	15862	(2)
4	16632	19	6864	11	38126	8	15774	(18)
5	9086	10	6820	14	37730	(6)	15070	(17)
6	8844	5	6182	19	37180	(9)	13332	(3)
7	6556	16	5896	10	36124	3	11704	(5)
8	4730	9	5060	16	35464	18	11044	7
9	4686	15	4730	17	34848	2	10340	1
10	4466	4	4664	13	34144	16	10252	11
11	4202	17	4642	18	33924	13	9812	(19)
12	3102	13	4576	6	33704	17	9658	15
13	2464	3	3674	7	33264	10	9570	(16)
14	2442	6	3498	2	32604	4	9196	9
15	2156	8	3036	3	30426	5	9130	6
16	1958	2	2970	9	20724	19	8910	(10)
17	1276	11	2662	15	15708	7	5214	8
18	1276	18	2530	4	14300	14	5082	12
19	286	12	2090	5	13486	1	1276	14
	151866		99770		600556		205326	

7. उपर्युक्त प्रपत्र-2 के भाग-1 के तहत अनुमान्य पदों को प्रपत्र-2 के भाग-तीन में जनसंख्या के अवरोही क्रम के आधार पर कोटिवार निर्वाचन क्षेत्र निम्नवत आवंटित किया जाएगा :-

- (क) जनसंख्या के अवरोही क्रम के आधार पर सर्वप्रथम अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य पदों के अनुसार अधिकतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जायेगा। स्पष्टतः जिस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिकतम होगी उस निर्वाचन क्षेत्र को, अनुमान्यता के आलोक में, अनुसूचित जनजाति को आवंटित किया जाएगा ।
- (ख) अनुसूचित जनजाति को निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जाने के पश्चात जनसंख्या के अवरोही क्रम के आधार पर अनुसूचित जाति को, अनुमान्य पदों के अनुसार, अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। परन्तु यदि वह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति को इसी आधार पर आवंटित हो चुका है तब अवरोही क्रम में उसके नीचे का अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जाएगा।
- (ग) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जाने के पश्चात् पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य पदों के अनुसार तथा अवरोही क्रम के आधार पर अधिकतम पिछड़े वर्ग की जनसंख्या वाला निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। यदि वह निर्वाचन क्षेत्र दूसरे कोटि (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति) को इसी आधार पर आवंटित हो चुका है तब अवरोही क्रम में उसके नीचे का अधिकतम पिछड़े वर्ग की जनसंख्या वाला निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जाएगा ।
- (घ) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग को निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जाने के पश्चात शेष निर्वाचन क्षेत्र अन्य के लिए अवधारित किया जाएगा ।

(उदाहरण उपर्युक्त प्रपत्र भाग-तीन में दिया गया है)

8. उपर्युक्त प्रपत्र-2 के भाग-एक, प्रपत्र-2 के भाग-तीन एवं कंडिका-7 में अंकित विवरण के अनुसार कोटिवार निर्वाचन क्षेत्र निम्नवत आवंटित किया जाएगा :-

- (क) अनुसूचित जनजाति को कुल 3 पद अनुमान्य हैं एवं सर्वप्रथम कोटिवार जनसंख्या के अवरोही क्रम के आधार पर अधिकतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति को आवंटित किये जाने हैं। अतएव प्रपत्र-2 के भाग-तीन के अनुसार, पहले तीन अधिकतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र, क्रमशः 14, 7 एवं 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित किया जाएगा ।
- (ख) अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमान्य सभी पदों के लिए निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जाने के पश्चात्, अनुसूचित जाति को अनुमान्य कुल 2 पद आवंटित किया जाएगा। चूँकि अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या वाला निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 है,

अतएव इसे उक्त कोटि के लिए आवंटित किया जायेगा। अनुसूचित जाति के अवरोही क्रम में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1 है परन्तु यह निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति को पूर्व में आवंटित किया जा चुका है अतएव उसके नीचे सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला निर्वाचन क्षेत्र संख्या-8, अनुसूचित जाति के लिए आवंटित किया जाएगा।

- (ग) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए अनुमान्य सभी पदों के लिए निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जाने के पश्चात्, पिछड़े वर्ग के लिए अनुमान्य 4 पद आवंटित किया जाएगा। इस क्रम में निर्वाचन क्षेत्र संख्या-12 एवं 8, जो कि पूर्व में अनुसूचित जाति को आवंटित किया जा चुका है को छोड़कर अवरोही क्रम में सबसे अधिक पिछड़े वर्ग की जनसंख्या वाला निर्वाचन क्षेत्रों, यथा 15, 11, 6 एवं 9 का आवंटन पिछड़े वर्ग के लिए किया जाएगा।
- (घ) आरक्षित कोटियों (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग) को निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जाने के पश्चात् शेष निर्वाचन क्षेत्र अन्य के लिए अवधारित होगा।

महिलाओं का आरक्षण एवं आवंटन :-

9. अधिनियम की धारा 27(2) एवं एतद् नियमावली के नियम-6(1)(घ) के अधीन प्रत्येक कोटि में यथाशक्य 50 प्रतिशत किन्तु इससे अनधिक पद महिलाओं के लिए निम्नवत आरक्षित एवं आवंटित किया जाएगा :-

- (क) प्रत्येक कोटि के लिए पदों की संख्या निर्धारित किये जाने एवं अवरोही क्रम में उस कोटि के अधिकतम जनसंख्या वाला निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किये जाने के पश्चात्, प्रत्येक कोटि के लिये यथाशक्य पचास प्रतिशत परंतु इससे अनधिक पद उस कोटि की महिलाओं के लिये आरक्षित एवं आवंटित किया जाएगा।
- (ख) जिस कोटि के लिए जनसंख्या अनुपात के आधार पर पद अनुमान्य नहीं है, उस कोटि की महिला के लिए ऐसा आरक्षण नहीं किया जाएगा। जिस कोटि के लिए 2 पद अनुमान्य है उस कोटि की महिला के लिये एक पद आरक्षित होगा। परन्तु यदि किसी कोटि के लिये एक ही पद अनुमान्य हो तो वह पद उस कोटि की महिला के लिये आरक्षित नहीं होगा और अनुवर्ती आम चुनाव में भी महिला के लिये आरक्षित नहीं होगा।
- (ग) प्रत्येक कोटि के लिए आरक्षित एवं आवंटित किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के क्रम में पहले आने वाले निर्वाचन क्षेत्र सर्वप्रथम उस कोटि की महिला के लिए आवंटित होगा और अनुवर्ती आम चुनावों में चक्रानुक्रम में प्रत्येक दूसरा क्षेत्र अनुमान्यता के आधार पर, महिला के लिए आवंटित होगा।

(घ) यदि अन्य कोई विकल्प नहीं हो, तब पूर्ववर्ती निर्वाचन में किसी कोटि विशेष की महिला के लिए आवंटित निर्वाचन क्षेत्र उसी कोटि की महिला के लिए पश्चात्पूर्ती निर्वाचन में पुनः आवंटित किया जा सकेगा।

(ड.) उपर्युक्त उदाहरण को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है :-

- | | | |
|-------|--|-----------------------|
| (i) | प्रथम आम निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पद | 1, 3, 5, 7, 9 |
| (ii) | द्वितीय आम निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पद | 2, 4, 6, 8, 10 |
| (iii) | तृतीय आम निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पद | 3, 5, 7, 9, 11 |
| (iv) | चतुर्थ आम निर्वाचन में महिलाओं को आवंटित पद | 4, 6, 8, 10, 12 |

10. उपर्युक्त प्रपत्र-2 के भाग-तीन एवं कंडिका-9 में अंकित विवरण के आलोक में महिलाओं को निम्नवत् आरक्षित एवं आवंटित किया जाएगा :-

- (क) अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य तीन निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्रमशः 14, 7 एवं 1 आवंटित है। प्रथम आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र संख्या-14 महिलाओं को आवंटित किया जाएगा। अनुवर्ती द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ आम निर्वाचन में महिलाओं को निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्रमशः 7, 1 एवं 14 चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाएगा।
- (ख) अनुसूचित जाति को अनुमान्य दो निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्रमशः 12 एवं 8 आवंटित है। प्रथम आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र संख्या-12 महिलाओं को आवंटित किया जाएगा। अनुवर्ती द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ आम निर्वाचन में महिलाओं को निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्रमशः 8, 12 एवं 8 चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाएगा।
- (ग) पिछड़े वर्ग को अनुमान्य चार निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्रमशः 15, 11, 6 एवं 9 आवंटित है। प्रथम आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र संख्या-15 एवं 6 महिलाओं को आवंटित किया जाएगा। अनुवर्ती द्वितीय आम निर्वाचन में महिलाओं को निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्रमशः 11 एवं 9, तृतीय आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 6 एवं 15 तथा चतुर्थ आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 एवं 11 चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाएगा।
- (घ) अन्य कोटि को अनुमान्य दस निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्रमशः 4, 13, 2, 18, 17, 3, 5, 19, 16 एवं 10 आवंटित है। प्रथम आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र संख्या-4, 2, 17, 5 एवं 16 महिलाओं को आवंटित किया जाएगा। अनुवर्ती द्वितीय आम निर्वाचन में महिलाओं को निर्वाचन क्षेत्र संख्या-13, 18, 3, 19 एवं 10, तृतीय आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र संख्या-2, 17, 5, 16 एवं 4 तथा चतुर्थ आम निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र संख्या-18, 3, 19, 10 एवं 13 चक्रानुक्रम में आवंटित किया जाएगा।

11. कंडिका-8, 9 एवं 10 में किये गये प्रावधानों के आलोक में महिलाओं को निम्नरूपेण विवरणी-ख के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जाएगा :-

विवरणी-'ख' (प्रपत्र-2 के आंकड़ा पर आधारित)								
अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र संख्या		अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र संख्या		पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र संख्या		अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र संख्या		निर्वाचन
महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	महिला	अन्य	
14	7 1	12	8	15 6	11 9	4 17 16 2 5	13 3 10 18 19	प्रथम आम निर्वाचन
7	14 1	8	12	11 9	15 6	13 3 10 18 19	4 17 16 2 5	द्वितीय आम निर्वाचन
1	7 14	12	8	6 15	9 11	2 5 4 17 16	18 19 13 3 10	तृतीय आम निर्वाचन
14	7 1	8	12	9 11	6 15	18 19 13 3 10	17 16 2 5 4	चतुर्थ आम निर्वाचन

12. यह उदाहरण नियम 6(1) के अधीन नगरपालिकाओं की तीनों श्रेणियों (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत) के महापौर/अध्यक्ष के पदों के लिए यथा अनुरूप मार्गदर्शन के रूप में लागू होगी।
